न्यायालय अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, दाउदनगर ।
जी0आर0नं0:—75 / 2021
दाउदनगर थाना कांड संख्या :—43 / 2021

16.12.2021 आवेदक नामतः सुहैल कुरैशी की ओर से उपस्थिति पत्र एवं शक्ति पत्र के साथ बंधपत्र दाखिल करने हेतु आवेदन दाखिल किया, तत्पश्चात् आवेदक न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करता है । आवेदन की प्रति विद्वान अभियोजन पदाधिकारी को दी गई ।

वाद पुकार पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता उपरोक्त आवेदन के आलोक में निवेदन करते है कि आवेदक का जमानत माननीय अपर सत्र न्यायाधीश, ग्यारह, औरंगाबाद द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन संख्या—1469 / 2021 में पारित आदेश दिनांक—16. 11.2021 के आलोक में प्राप्त हुई है । उपरोक्त आदेश के आलोक में आवेदक बंधपत्र दाखिल करना चाहता है । अतः आवेदक को बंधपत्र दाखिल करने की अनुमति दिया जाय।

सुना । अभिलेख एवं पत्रावली का अवलोकन किया । जिससे विदित होता है कि उपरोक्त आवेदक का जमानत आवेदक का जमानत माननीय अपर सत्र न्यायाधीश, ग्यारह, औरंगाबाद द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन संख्या—1469 / 2021 में पारित आदेश दिनांक—16. 11.2021 के आलोक में प्राप्त हुई है । उक्त आदेश के तहत उपरोक्त आवेदक को मो0—10000X2 (दस हजार) रूपये का बंधपत्र व इतनी ही राशि के दो प्रतिभू पर माननीय निचली अदालत की संतुष्टि उपरांत एवं धारा 438(2) दं0प्र0सं0 के अनुपालन के आलोक में जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया गया है तथा आवेदक को यह निर्देश दिया गया है कि भविष्य में इस तरह का अन्य मामले में उसकी संलिप्तता पायी जाती है तो उसका बंधपत्र बिखंडित कर दिया जायेगा । आवेदक वर्णित आदेश का अक्षरशः पालन करने का कथन करता है । उक्त आदेश की प्रति अभिलेख पर संलग्न है ।

अतः आवेदक को उपरोक्त वर्णित आदेश के आलोक में बंधपत्र दाखिल करने की अनुमति दी जाती है ।

उ0 अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, दाउदनगर ।